

~~पंचायत~~

परि क्र. १२ :-

१० वा वित्त आयोग पहिला महाराष्ट्र वित्त आयोग व वैधानिक विकास मंडळ मधुन ग्राम सचिवालय बांधकामासाठी दिलेल्या अनुदाना बाबत.

जिल्हा परिषद बीड सामान्य प्रशासन विभागाने ग्रामपंचायतींना १० वा वित्त आयोग, पहिला महाराष्ट्र वित्त आयोगामधुन ग्रामसचिवालय बांधकामासाठी खालील आदेशान्वये अनुदान मंजुर केले आहे. त्याचा तपशिल पुढील प्रमाणे आहे.

| अ.क्र. | आदेश क्र. | ग्रा.पं. चे नांव | तपशिल | रक्कम रु. |
|--------|---|------------------|-------------------------------|----------------------|
| १ | मु.का.अ. यांचे आदेश क्र. साप्रवि/पं/नियोजन/२००१ दि. १६.७.२००१ | नाथापुर | १० वा वित्त आयोग | ३,००,००० |
| २ | ---"--- १८०/२००२ दि. २६/३/२००२ | मानुर | ---"--- | ६८,५०० |
| ३ | ---"--- दि. १६.७.२००१ | पिंपळनेर | ---"--- | ३,००,००० |
| ४ | ---"--- दि. १७.८.२००१ | चकलंबा | ---"--- प.कुण | ३,००,००० ९६,८,५०० |
| १ | मु.का.अ. यांचे आदेश क्र. ५१०/२००२ दि. २८.३.२००२ | नवगण | १० महाराष्ट्र वित्त आयोग | १,३०,००० |
| २ | ---"--- ११६/२००२ दि. ३०.३.२००२ | राजुरी | ---"--- | २,६०,००० |
| ३ | मुकाअ जि.प. बीड यांचे आदेश क्र. १५४/२००२ दि. ९/३/२००२ | वड वणी | १ ला महाराष्ट्र वित्त आयोग | २,६०,००० |
| ४ | मु.का.अ.जि.प. बीड साप्रवि ७ पं. (नियो) /२००२ दि. २८.३.२००२ | घाटसावळी | ---"--- | १,३०,००० |
| ५ | ---"--- १८०८ दि. ३०.३.२००२ | काजळा | ---"--- | २,६०,००० |

(28.)

| अ.क्र. | आदेश क्र. | ग्रा.पं. चे नांव | तपशिल | रक्कम रु. |
|--------|--|------------------|-------------------------------|-----------|
| ६ | ----"--- १५३०/१६० दि. १६.३.२००२ | पाचेगांव | १ ला महाराष्ट्र वित्त आयोग | २,६०,००० |
| | | | एकुण | १३,००,००० |
| १. | मु.का.अ.सा.प्रवि ७/पं/ २००२ दि. ३०.०३.२००२ | राजुरी (न) | वैधानिक विकास मंडळ | १०,००,००० |
| | | | एकुण रु. | १०,००,००० |

उपरोक्त तपशिला प्रमाणे जिल्हा परिषदेने ग्रामपंचायतीस सचिवालय बांधकामासाठी अनुदान दिलेले आहे. तथापी उपरोक्त ग्रामपंचायतीचे अभिलेखे मागणी पत्र क्रं. ३० दि. ३०/१२/२००२ देवूनही उपलब्ध करून अनुपालन सादर करावे.

उपरोक्त उणीचांची पुर्तता करेपर्यंत रक्कम रूपये तात्पुरते अमान्य करण्यात येत आहे.

तात्पुरते अमान्य

- १) १० वित्त आयोग रु. ९६८५००/-
- २) १ ला महाराष्ट्र वित्त आयोग रु. १,३०,०००/-
- ३) वैधानिक विकास मंडळ रु. १०,००,०००/-

एकुण रु. ३२,६८,५००/-

१७. सामुहिक विकास योजना,
ग्रामपंचायतीना सचिवालय,
बांधकामासाठी अनुदान.

(41.)

शासकीय क्षेत्र

मुंबई स्थानिक निधी लेखा परिक्षा अधिनियम

१९३० चे कलम (क) खालील आक्षेप

--- निरंक ---

शासकीय क्षेत्र

मुंबई स्थानिक निधी लेखा परिक्षा अधिनियम

१९३० चे कलम (ड) खालील आक्षेप

पृ - 2
२००१ - ०२

परि. क्र. २० :

ग्रामपंचायतीच्या सरपंचाना मानधन व ग्रामपंचायतीच्या सदस्यांना बैठक भत्ता मंजुरी बाबत

जिल्हा परिषदेस सन २००१-२००२ साठी ग्रामपंचायतीच्या सदस्यांना बैठक भत्ता रु. १६,००,००,०००/- रोख अनुदान प्राप्त झाले आहे.

१) मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदेश क्र. ६६३४ दिनांक २२.११.२००१ अन्वये खालील प्रमाणे मानधन वाट प करण्यात आले होते.

| | | | |
|----|---|------------|------|
| १) | सरपंच मानधन रु. २००/- | ७,०६,८००/- | १००% |
| २) | सरपंच मानधन रु. ३००/- | २,५९,२००/- | ५०% |
| ३) | सरपंच मानधन रु. ४००/- | १,६६,६००/- | ५०% |
| ४) | ग्रामपंचायत सदस्यांना बैठक भत्ता रु. १०/- प्रमाणे | ४,६८,१८०/- | १००% |

एकूण १५,९९,७८०

त्यावर पुढील प्रमाणे अभिप्राय देण्यात येतात.

ପ୍ରକାଶକ ନାମରେ

ପାତ୍ରକାଳୀମିଳିବୁଲେ ପାତ୍ରକାଳୀ

· 16 ·

ବିଶ୍ୱାସ ପରିପାଳନ ମଧ୍ୟ କାଳିତାଙ୍କ

四百九

~~Chinn~~

ପ୍ରକାଶିତ

‘הַמְּלָאֵךְ’ כָּל־הָעָם

፩፻፯፭ - ፳፭፯፭፻፭፻፭

(42)